AFR

बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

2022 की सीआरएमपी संख्या 1188

1. राकेश पांडे पुत्र बृजभूषण पांडे, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 14, बजरंग चौक, कुम्हारी, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

----------**आवेदक/याचिकाकर्ता**

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य जिला मजिस्ट्रेट, राजनांदगांव, जिला - राजनांदगांव (छ.ग.))

2. सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सिविल न्यायालय खैरागढ़, जिला - राजनांदगांव (छ.ग.)

----------**प्रत्यर्थी/गैर-आवेदक**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता/आवेदक की ओर से – श्री आकाश पांडे, अधिवक्ता।

राज्य/प्रतिवादी की ओर से – श्री मयूर खंडेलवाल, पैनल अधिवक्ता।

माननीय श्री न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल, जे. बोर्ड पर आदेश

18-10-2024

1. वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता/आवेदक द्वारा विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश खैरागढ़, जिला राजनांदगांव द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण क्रमांक 03/2019 में पारित दिनांक 20-01-2020 के आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके तहत विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण को खारिज कर दिया है और आपराधिक प्रकरण क्रमांक 215/2017 में विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दिनांक 20-02-2019 के आदेश की पुष्टि की है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि, याचिकाकर्ता पर अपराध क्रमांक 130/17, जो कि विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैरागढ़, जिला राजनांदगांव

के समक्ष धारा 341, 353, 332, 147, 148 एवं 186 भादवि के अंतर्गत अपराध के लिए विचाराधीन है। याचिकाकर्ता एवं चार अन्य सह-अभियुक्तों के विरुद्ध विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था तथा याचिकाकर्ता इस प्रकरण में विचारण का सामना कर रहा है। विचारण के दौरान, गृह विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिनांक 17-09-2018 को एक आदेश पारित किया गया, जिसमें संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को याचिकाकर्ता के विरुद्ध अभियोजन वापस लेने का निर्देश दिया गया तथा गृह विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसरण में, धारा 321 भादवि के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष अभियोजन वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था और पक्षों को सुनने के बाद विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन पक्ष द्वारा सीआरपीसी की धारा 321 के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया है और कहा है कि अभियोजन वापस लेने के लिए आवेदन कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव में दायर किया गया है, लेकिन पुलिस अधीक्षक से अभियोजन वापस लेने की कोई सिफारिश नहीं है और अभियोजन वापस लेने के लिए आवेदन में कोई कारण नहीं बताया गया है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता के खिलाफ मामले के अभियोजन को वापस लेने की अनुमति देना सार्वजनिक हित में नहीं होगा और 20-02-2019 को आवेदन को खारिज कर दिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 20-02-2019 के उक्त आदेश को विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, खैरागढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण दायर करके चुनौती दी गई थी, जिसे विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए दिनांक 20-01-2020 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, खैरागढ़, जिला राजनांदगांव द्वारा पारित दिनांक 20-01-2020 के आदेश को वर्तमान याचिका में चुनौती दी गई है।

3. याचिकाकर्ता/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जब मंत्रिमंडल ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध अभियोजन वापस लेने का निर्णय लिया है और इसके अनुसरण में अभियोजन पक्ष ने सीआरपीसी की धारा 321 के अंतर्गत अभियोजन से वापसी के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, तो विद्वान ट्रायल कोर्ट को आवेदन स्वीकार कर लेना चाहिए था। आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा संस्तुति किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और सीआरपीसी की धारा 321 की स्पष्ट भाषा से अभियोजन से वापसी के लिए सीआरपीसी की धारा 321 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार

मामले के प्रभारी लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक को दिया गया है और न्यायालय की सहमति से अभियोजन से वापसी के लिए प्रार्थना की जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि जिला मजिस्ट्रेट का भी यह मत था कि जनहित में अभियोजन वापस लेना उचित होगा और उन्होंने दिनांक 15-10-2018 के अपने आदेश के माध्यम से लोक अभियोजक को ऐसा करने का निर्देश दिया, जो विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश से प्रतिबिंबित होता है। उन्होंने आगे कहा कि वन अधिकारी ने मामले पर विचार करने के बाद माना कि जब्त की गई लकड़ी की लकड़ियाँ याचिकाकर्ता की संपत्ति थीं, जो उसके स्वामित्व की भूमि से निकाली गई थीं और यह सरकारी संपत्ति नहीं थी। इसलिए, यह प्रथम दृष्टया स्थापित होता है कि वर्तमान याचिकाकर्ता को अपराध में झूठा फंसाया गया है, जिसके लिए कैबिनेट ने अभियोजन वापस लेने का निर्णय भी लिया है और इसके लिए विद्वान जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लोक अभियोजक को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। विद्वान ट्रायल कोर्ट और विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय ने कानून के अनुसार अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं किया है और उस आवेदन को खारिज कर दिया है जिसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है और आरोपित आदेशों को रद्द किया जा सकता है और अभियोजन पक्ष को अभियोजन से हटने का निर्देश दिया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि गृह विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने दिनांक 17-09-2018 को वर्तमान याचिकाकर्ता के विरुद्ध अभियोजन से हटने का निर्णय लिया है, जो जनहित में है, लेकिन विद्वान ट्रायल कोर्ट ने दिनांक 20-02-2019 के आदेश द्वारा आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि लोक अभियोजक द्वारा अभियोजन से हटने का कोई कारण नहीं बताया गया है और साथ ही, वर्तमान याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप यह है कि उसने लोक सेवक को उसके लोक कर्तव्य के निर्वहन में बाधा पहुंचाई और लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग किया और यदि अभियोजन से हटने की अनुमति दी जाती है, तो इससे बड़े पैमाने पर जनता प्रभावित होगी और यह जनहित में नहीं होगा। हालाँकि, यह अभियोजन द्वारा दायर किया गया आवेदन है और माननीय न्यायालय उचित आदेश पारित कर सकता है।

5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी हैं तथा याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

6. सीआरपीसी की धारा 321, लोक अभियोजक या मामले के प्रभारी सहायक लोक अभियोजक को न्यायालय की सहमति से अभियोजन से हटने का

अधिकार देती है। सहमति देते समय न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होता है कि लोक अभियोजक ने अपना विवेक प्रयोग किया है और सद्भावनापूर्वक कार्य करते हुए लोक अभियोजक की यह राय है कि अभियोजन से हटना जनहित में है। वर्तमान मामले में लोक अभियोजक ने छत्तीसगढ़ सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशों के तहत अभियोजन से हटने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है और अभियोजन से हटने के लिए आवेदन में अपने स्वतंत्र विचार या अपने विवेक का प्रयोग प्रकट नहीं किया है। सीआरपीसी की धारा 321 के तहत विवेकाधिकार का प्रयोग भी न्यायालय द्वारा सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक किया जाता है।

7. लोक अभियोजक राज्य सरकार के आदेश पर काम नहीं कर सकता और उसे न्यायालय का अधिकारी होने के नाते निष्पक्ष रूप से काम करना होगा। इस आधार पर अभियोजन से वापसी की अनुमति देना कि वापसी के लिए आवेदन लोक अभियोजक द्वारा सरकार द्वारा पारित आदेशों के आधार पर दायर किया गया है, सीआरपीसी की धारा 321 की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अब्दुल करीम और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य के मामले में (2000) 8 एससीसी 710 में पैरा 19, 20, 42, 43 में माना है कि:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> 19. इसलिए, कानून यह है कि भले ही सरकार ने किसी सरकारी अभियोजक को अभियोजन से हटने का आदेश दिया हो, निर्देश दिया हो या पूछा हो, लेकिन सरकारी अभियोजक को सभी प्रासंगिक सामग्रियों पर विचार करना चाहिए और सद्भावपूर्वक इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि अभियोजन से हटने से जनहित की पूर्ति होगी।बदले में, अदालत को सभी सामग्रियों पर विचार करने के बाद संतुष्ट होना चाहिए कि सरकारी अभियोजक ने स्वतंत्र रूप से इस पर विचार किया है, कि सरकारी अभियोजक सद्भावपूर्वक कार्य करते हुए इस राय का है कि अभियोजन से उसका हटना जनहित में है और इस तरह की वापसी कानून की प्रक्रिया को बाधित या विफल नहीं करेगी या स्पष्ट अन्याय का कारण नहीं बनेगी।
>
> 20. धारा 321 के तहत आवेदन में यह कहा जाना चाहिए कि लोक अभियोजक सभी प्रासंगिक सामग्री पर विचार करने के बाद सद्भावपूर्वक संतुष्ट है कि अभियोजन से उसका हटना जनहित में है और इससे कानून की प्रक्रिया बाधित या बाधित नहीं होगी या अन्याय नहीं होगा। लोक अभियोजक ने जिस सामग्री पर विचार किया है, उसे आवेदन में या

आवेदन के साथ संलग्न हलफनामे में या किसी दिए गए मामले में न्यायालय के समक्ष उसकी अनुमति से सीलबंद लिफाफे में संक्षेप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। न्यायालय को सूचित सहमति देनी होगी। उसे संतुष्ट होना चाहिए कि यह सामग्री उचित रूप से इस निष्कर्ष पर ले जा सकती है कि अभियोजन से लोक अभियोजक का हटना जनहित में होगा; लेकिन सामग्री का मूल्यांकन करना न्यायालय का काम नहीं है। न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि लोक अभियोजक ने सामग्री पर विचार किया है और सद्भावपूर्वक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन से उसका हटना जनहित में होगा। न्यायालय को यह भी विचार करना चाहिए कि क्या सहमति देने से कानून की प्रक्रिया बाधित हो सकती है या बाधित हो सकती है या इससे स्पष्ट अन्याय हो सकता है। यदि न्यायालय इस तरह के विचार के बाद सहमति देता है, तो उसे आवेदन पर ऐसा आदेश देना चाहिए जो उच्च न्यायालय को यह संकेत दे कि उसने सहमति देने से पहले कानून के अनुसार वह सब कुछ कर लिया है जो उसे करना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

42. धारा 321 सीआरपीसी के तहत आवेदन पेश करने के लिए सरकारी वकील की संतुष्टि होनी चाहिए, जो मामले की प्रकृति के अनुसार राज्य द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री पर आधारित होनी चाहिए। धारा 321 के तहत आवेदन पर निर्णय लेते समय न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति की प्रकृति को शिवनंदन पासवान बनाम बिहार राज्य [(1987) 1 एससीसी 288] में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा रेखांकित किया गया है। यह निर्णय यह मानता है कि न्यायालय द्वारा सहमति प्रदान करना स्वाभाविक बात नहीं है और जब ऐसा आवेदन सरकारी वकील द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर विचार करने के बाद दायर किया जाता है, तो न्यायालय ऐसी सामग्री पर विचार करके अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करता है और ऐसे विचार के आधार पर या तो सहमति देता है या सहमति देने से इनकार करता है। इसमें यह भी प्रावधान है कि न्यायालय को यह देखना होगा कि आवेदन सद्भावनापूर्वक, सार्वजनिक नीति और न्याय के हित में किया गया है, न कि कानून की प्रक्रिया को बाधित करने या बाधित करने के लिए या ऐसी अनियमितताओं या अवैधताओं से ग्रस्त होने के लिए, जिससे सहमति दिए जाने पर स्पष्ट अन्याय हो।

43. यह सही है कि धारा 321 के तहत न्यायालय की शक्ति पर्यवेक्षणात्मक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उस शक्ति का प्रयोग करते समय, केवल पूछने पर सहमति दे दी जानी चाहिए। न्यायालय को यह जांच करनी होगी कि सरकारी वकील और/या सरकार द्वारा अपने कार्यकारी कार्य के अभ्यास में सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार किया गया है।"

8. राहुल अग्रवाल बनाम राकेश जैन व अन्य के मामले में, जिसकी रिपोर्ट 2005 (2) एससीसी 377 में दी गई है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 6, 7, 8, 9 व 10 में माना है कि:-

6. बिहार राज्य बनाम राम नरेश पांडे (1957 एससीआर 279) में इस न्यायालय ने कहा: (एससीआर पृष्ठ 284

अतः न्यायालय का कार्य अपनी सहमति प्रदान करना न्यायिक कार्य माना जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि सहमति प्रदान करते समय न्यायालय को न्यायिक विवेक का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि विवेक का प्रयोग केवल न्यायिक पद्धति द्वारा एकत्रित सामग्री के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. उड़ीसा राज्य बनाम चंद्रिका महापात्रा [(1976) 4 एससीसी 250] में पी.एन. भगवती, जस्टिस, जो उस समय तीन न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोल रहे थे, ने टिप्पणी की: (एससीसी पृष्ठ 255, पैरा 10)

"उन सभी मामलों में सर्वोपरि विचार न्याय प्रशासन का हित होना चाहिए। कोई कठोर नियम नहीं बनाया जा सकता है और न ही मामलों की कोई श्रेणी परिभाषित की जा सकती है जिसमें सहमति दी जानी चाहिए या अस्वीकार की जानी चाहिए। यह अंततः प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होना चाहिए कि न्याय के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक न्यायिक प्रक्रिया का उद्देश्य न्याय की प्राप्ति होना चाहिए।"

8. बलवंत सिंह बनाम बिहार राज्य [(1977) 4 एससीसी 448] में यह देखा गया: (एससीसी पृष्ठ 450, पैरा 2)

"वापसी पर निर्णय लेने की वैधानिक जिम्मेदारी पूरी तरह से लोक अभियोजक पर निहित है। यह गैर-परक्राम्य है और इसे प्रशासनिक पक्ष में उससे ऊपर के लोगों के पक्ष में नहीं बदला जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता ही लोक अभियोजक का एकमात्र

स्वामी है और उसे केवल दंड प्रक्रिया संहिता के संदर्भ में ही अपना मार्गदर्शन करना है। इस प्रकार निर्देशित, उसे इस बात पर विचार करना चाहिए कि अभियोजन वापस लेने या जारी रखने से सार्वजनिक न्याय का व्यापक कारण आगे बढ़ेगा या पीछे हटेगा।"

9. हाल ही में, अब्दुल करीम बनाम कर्नाटक राज्य [(2000) 8 एससीसी 710] में शिवनंदन पासवान बनाम बिहार राज्य [(1987) 1 एससीसी 288] में संविधान पीठ के पहले के फैसले पर भरोसा करते हुए इस न्यायालय ने धारा 321, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मामले को वापस लेने के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां कीं: (एससीसी पृष्ठ 728-29, पैरा 18)

"अदालत को यह देखना होगा कि क्या आवेदन सद्भावनापूर्वक, सार्वजनिक नीति और न्याय के हित में किया गया है और कानून की प्रक्रिया को विफल या बाधित करने के लिए नहीं किया गया है। मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद अदालत को यह देखना होगा कि क्या आवेदन में ऐसी अनियमितताएं या अवैधताएं हैं जो सहमति दिए जाने पर स्पष्ट अन्याय का कारण बनेंगी। जब सरकारी अभियोजक अपने समक्ष सभी सामग्री पर विचार करने के बाद वापसी के लिए आवेदन करता है, तो अदालत को ऐसी सामग्री पर विचार करके अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करना चाहिए और इस तरह के विचार पर या तो सहमति देनी चाहिए या सहमति से इनकार करना चाहिए। धारा का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि अदालत को सहमति देते समय विस्तृत तर्कपूर्ण आदेश देना होगा। यदि सहमति देने वाले आदेश को पढ़ने पर उच्च न्यायालय संतुष्ट होता है कि ऐसी सहमति उपलब्ध सामग्री के समग्र विचार पर दी गई थी, तो सहमति देने वाले आदेश को अनिवार्य रूप से बरकरार रखा जाना चाहिए। धारा 321 पर्यवेक्षी और न कि एक पर्यवेक्षी रूप में अदालत द्वारा सहमति पर विचार करती है। न्यायिक तरीके से न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वापसी के लिए आवेदन लोक अभियोजक द्वारा स्वतंत्र विचार-विमर्श के पश्चात तथा लोकहित को आगे बढ़ाने के लिए उचित रूप से किया गया है। धारा 321 लोक अभियोजक को किसी भी अभियुक्त के अभियोजन से हटने का अधिकार देती है। धारा 321 के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायालय द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर विचार-विमर्श करने के पश्चात ही किया जा सकता है। धारा को संतुष्ट करने के लिए यह देखना आवश्यक है कि लोक अभियोजक ने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सद्भावनापूर्वक कार्य किया है तथा उसके द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग उचित है।"

10. इन निर्णयों तथा इसी प्रश्न पर अन्य निर्णयों से यह स्पष्ट है कि अभियोजन वापस लेने की अनुमति केवल न्याय के हित में ही दी जा सकती है। यदि सरकार लोक अभियोजक को अभियोजन वापस लेने का निर्देश देती है तथा इस संबंध में आवेदन दायर किया जाता है, तो भी न्यायालय को सभी प्रासंगिक परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए तथा यह पता लगाना चाहिए कि अभियोजन वापस लेने से न्याय का उद्देश्य आगे बढ़ेगा या नहीं। यदि मामले में दोषमुक्ति की संभावना है तथा मामले को जारी रखने से अभियुक्त को केवल गंभीर उत्पीड़न हो रहा है, तो न्यायालय अभियोजन वापस लेने की अनुमति दे सकता है। यदि अभियोजन वापस लेने से विवाद सुलझने तथा पक्षों के बीच सामंजस्य स्थापित होने की संभावना है तथा यह न्याय के सर्वोत्तम हित में होगा, तो न्यायालय अभियोजन वापस लेने की अनुमति दे सकता है। धारा 321, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायालय द्वारा सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए और इसका प्रयोग अभियोजन को बाधित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जो पीड़ित पक्षों या राज्य के कहने पर उनकी शिकायत के निवारण के लिए किया जा रहा है। प्रत्येक अपराध समाज के विरुद्ध अपराध है और यदि अभियुक्त ने कोई अपराध किया है, तो समाज मांग करता है कि उसे दंडित किया जाना चाहिए। अपराध करने वाले व्यक्ति को दंडित करना समाज में कानून और व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए एक आवश्यक आवश्यकता है। इसलिए, अभियोजन को वापस लेने की अनुमति तभी दी जाएगी जब इसके लिए वैध कारण बताए जाएं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. इसके अलावा एस.के. शुक्ला एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले में, जिसकी रिपोर्ट 2006 (1) एससीसी 314 में दी गई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 32 में माना है कि:-

32. यह याचिका राज्य सरकार द्वारा दिनांक 29-8-2003 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके तहत सरकारी वकील को आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ पोटा मामलों को वापस लेने का निर्देश दिया गया था। सरकारी वकील द्वारा इन मामलों को वापस लेने के लिए विशेष न्यायाधीश के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, हालांकि इन मामलों को वापस लेने की अनुमति देने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। हालांकि, एसएलपी (सीआरएल) 5609/2004 में हमारे निष्कर्ष के मद्देनजर,

हम इन मामलों को वापस लेने के लिए राज्य सरकार के आदेश और सरकारी वकील द्वारा इन मामलों को वापस लेने के लिए किए गए परिणामी आवेदन की पुष्टि नहीं कर सकते हैं। सरकार द्वारा दिनांक 29-8-2003 को पारित आदेश और साथ ही विशेष लोक अभियोजक द्वारा विशेष न्यायाधीश, कानपुर नगर के समक्ष प्रस्तुत आवेदन को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और तदनुसार राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश और विशेष लोक अभियोजक द्वारा कानपुर में विशेष न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत आवेदन, दोनों को खारिज कर दिया गया है। इस संबंध में हमारा ध्यान शिवनंदन पासवान बनाम बिहार राज्य एवं अन्य 1983(1) एससीसी 438 : 1983 एससीसी (क्रि) 224, राजेंद्र कुमार जैन बनाम राज्य, (1980) 3 एससीसी 435 : 1980 एससीसी (क्रि) 757, आर.एम. तिवारी बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली), (1996) 2 एससीसी 610 : 1996 एससीसी (क्रि) 361, अय्यूब बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2002) 3 एससीसी 510 : 2002 एससीसी (क्रि) 673 की ओर आकर्षित किया गया। इन मामलों में यह निर्धारित किया गया है कि लोक अभियोजक को सीआरपीसी की धारा 321 के तहत मामलों को वापस लेने की अधिक जिम्मेदारी उठानी होगी। शिवनंदन पासवान बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, 1983 (1) एससीसी 438 में यह माना गया कि:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित स्थापित कानून यह है कि अभियोजन से हटना सरकारी वकील का कार्यकारी कार्य है और अभियोजन से हटने का अंतिम निर्णय उसका है। धारा 321 के तहत आवेदन करने से पहले, सरकारी वकील को किसी बाहरी प्रभाव के अधीन हुए बिना स्वतंत्र रूप से मामले के तथ्यों पर अपना दिमाग लगाना होगा। सरकार सरकारी वकील को सुझाव दे सकती है कि किसी विशेष मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कोई भी उसे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है।
>
> हालाँकि, संहिता की धारा 321 सरकारी वकील को उस धारा के तहत आवेदन दायर करने से पहले सरकार से कोई निर्देश प्राप्त करने पर कोई रोक नहीं लगाती है। यदि सरकारी वकील को ऐसे निर्देश मिलते हैं, तो उसे बाहरी प्रभाव में कामकरने वाला नहीं कहा जा सकता है। इसके विपरीत, सरकारी वकील सरकार से निर्देश के बिना अपने दम पर किसी मामले को वापस लेने के लिए आवेदन नहीं कर सकता है, क्योंकि सरकारी वकील पूरी तरह से अपने दम पर या

अपने मुवक्किल यानी सरकार के निर्देश के विपरीत कोई मामला नहीं चला सकता है। न्यायाधीश के विपरीत, सरकारी वकील पूरी तरह से स्वतंत्र अधिकारी नहीं है। उसे सरकार द्वारा संबंधित सरकार की ओर से अदालत में कोई अभियोजन या अन्य कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया जाता है। इसलिए सरकारी वकील और सरकार के बीच वकील और मुवक्किल का रिश्ता होता है।

यदि सरकार किसी सरकारी वकील को किसी मामले के अभियोजन से हटने का निर्देश देती है, तो सरकारी वकील मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद या तो निर्देशों से सहमत हो सकता है और वापसी के आधार बताते हुए याचिका दायर कर सकता है या अभियोजन के लिए एक अच्छा मामला पाकर उससे असहमत हो सकता है और वापसी याचिका दायर करने से इनकार कर सकता है। बाद की स्थिति में सरकारी वकील को संक्षिप्त विवरण वापस करना होगा और शायद इस्तीफा देना होगा, क्योंकि यह सरकार है, सरकारी वकील नहीं, जो राज्य के व्यापक हित के बारे में जानता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सरकारी वकील डाकिये की तरह काम नहीं कर सकता या राज्य सरकारों के इशारे पर काम नहीं कर सकता। उसे निष्पक्ष रूप से काम करना होगा क्योंकि वह भी अदालत का अधिकारी है। साथ ही अदालत भी उससे बाध्य नहीं है। अदालतें यह आकलन करने के लिए भी स्वतंत्र हैं कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। अदालत संतुष्ट होने पर प्रार्थना को खारिज भी कर सकती है। हालांकि, वर्तमान मामले में हमने मामले की जांच की और पाया कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ अधिनियम की धारा 4(बी) और विस्फोटक या शस्त्र अधिनियम के अन्य प्रावधानों के तहत आगे बढ़ने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है, इसलिए सरकार द्वारा दी गई मंजूरी और सरकारी वकील द्वारा मामलों को वापस लेने के लिए दायर आवेदन को बरकरार नहीं रखा जा सकता। अतः रिट याचिका संख्या 132-134/2003 को स्वीकार किया जाता है तथा राज्य सरकार द्वारा दिनांक 29-8-2003 को जारी आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध मामले वापस लेने के आदेश को निरस्त किया जाता है, साथ ही लोक अभियोजक को न्यायालय से मामले वापस लेने के निर्देश दिए जाते हैं।

10. विद्वान विचारण न्यायालय ने अपना विस्तृत आदेश पारित करते हुए यह माना है कि, आवेदन में अभियोजन पक्ष ने ऐसा कोई कारण नहीं बताया है कि अभियोजन से वापस लिया जाना जनहित में है तथा आगे यह मामला आपराधिक बल का प्रयोग करने तथा लोक सेवक को उसके कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने से संबंधित है तथा यदि मामले में अभियोजन पक्ष को अभियोजन से वापस लेने की अनुमति दी जाती है तो इससे जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा लोक सेवक के हित प्रभावित होंगे जो अपना सार्वजनिक कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं। केवल इस कारण से कि मंत्रिमंडल ने अभियोजन से वापस लेने का निर्णय लिया है, आवेदन को अनुमति नहीं दी जा सकती है तथा आवेदन को खारिज कर दिया है। विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय का यह भी मत था कि मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय को अभियोजन से वापस लेने का आधार नहीं बनाया जा सकता है तथा वर्तमान मामले का विषय मंत्रिमंडल द्वारा 17-09-2018 को लिए गए निर्णय से भिन्न है जो राजनीतिक आंदोलन के विरुद्ध मामलों से संबंधित है। वर्तमान मामला लोक सेवक के विरुद्ध आपराधिक बल का प्रयोग करने तथा उन्हें सार्वजनिक कर्तव्य निर्वहन करने से रोकने के अपराध से संबंधित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. उपरोक्त चर्चा से तथा उपरोक्त मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर, यह न्यायालय इस राय पर है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा दायर अभियोजन से वापसी के आवेदन को सही ढंग से खारिज कर दिया है तथा आरोपित आदेशों में कोई दुर्बलता या अवैधता नहीं पाई गई है।

12. परिणामस्वरूप, याचिका विफल हो जाती है और इसे खारिज किया जाता है। दिनांक 26-07-2022 का अंतरिम आदेश निरस्त किया जाता है।

सही/-
(रविन्द्र कुमार अग्रवाल)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**